रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72

REGISTERED No. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1981/ज्येष्ठ 8, 1903

No. 117] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1981/JYAISTHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-28 आईटीसी (पीएन)/81

नई दिल्ली, 29 मई, 1981

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1980-81 के लिए येन 2.46 बिलियन (ऋण सहायता) की जापान अनुदान सहायता से सम्बन्धित लाइसेंस शर्तें ।

मिसिल संख्या—आई०पी०सी/23(14)/80-81—जापान अनुदान सहायता येन 2.46 बिलियन (ऋण सहायता) के अन्तर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में आयातकों के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए शासित होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट-1 और 2 में दी गई हैं, वे जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

कु० रीमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

परिशिष्ट-1

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1980-81 के लिए 2.46 बिलियन (येन 2,463,559,000/-) (ऋण सहायता) के जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें ।

खण्ड-1-सामान्य शर्तें :

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता ओ० ई० सी० डी० और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई हैं । तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है । ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे । इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबन्ध-2 में दी गई है ।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1980-81 के लिए 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता होगा" । प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे०एन" होगा । ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में भी दुहराए जाएंगे ।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे ।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा । लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंस धारी को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से

सम्पर्क करना चाहिए जो इस मामले में वित्तीय कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा ।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे (आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर) अवर सचिव (टीए) वित्तीय कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिएं । "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त आदेश की पुष्टि करने के बाद विदेशी संभरक द्वारा विधिवत समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हों । विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकरणीय नहीं है ।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे ।

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1982 के बाद की न हो ।

खण्ड-2—संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें :— 2(1)(क) ठेके का मूल्य येन या यू० एस० डालर या पौण्ड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेन्ट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए । और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, आदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि **भारतीय रुपये में चुकाना चाहिए। भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत-बीमा और भाड़ा धनराशि अलग-अलग प्रदर्शित की जा सकती है परन्तु ठेके में यह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी ।**

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(ग) क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिएं ।

2(2) आयात लाइसेंस के महे केवल एक संविदा की जानी चाहिए। विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए ।

2(3) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाधिष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा ।

खण्ड-3 संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाधिष्ट होनी चाहिए :—

3(1) 1980-81 के लिए 2.46 बिलियन के अनुदान सहायता से सम्बद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18 मार्च, 1981 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है ।

3(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1980-81 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, वित्तीय कार्य विभाग, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा ।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो ।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए सम्बन्धित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम को भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है । आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खण्ड-4—भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन :

4(1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्र-पार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध-3 के प्रश्न प्रपत्र में "ए/पी जारी करने के आवेदन" की 2 प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां अवर सचिव (टीए) वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषयवस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आशोधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी ।

4(2) यदि ठेके के दस्तावेज, "ए/पी जारी करने के लिए आवेदनपत्र" और अन्य सम्बन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (वित्तीय कार्य विभाग) जापान अनुभाग ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, और भारत के राजदूतावास, टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा ।

4(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इण्डिया, टोकियो के लिए अनुबन्ध-4 के रूप में विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिए "भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी)" जारी करेगा । ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, वित्तीय कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी ।

4(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इंण्डिया, टोकियो जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास, टोकियो, भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा ।

4(5) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इंण्डिया, टोकियों को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंण्डिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा ।

4(6) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्च, भारत में आयातक के सम्बन्द्ध बैंक द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे ।

खण्ड 5–रुपया जमा करने का उत्तरादायित्व

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक ऑफ इंण्डिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के सम्बन्द्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबन्ध-3 के-ए में उल्लिखित है) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही सम्बद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन/यू०एस० डालर/पौण्ड स्टर्लिंग धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभारक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर विदेशी संभरक को बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियों द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी(पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है । ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है । देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या-103 आई टीसी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन/यू०एस० डालर/पौण्ड धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं०-8 आई० टी० सी०-(पी०एन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए । इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा । इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सम्बद्ध, भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिटस एण्ड एडवान्सिज 843 सिविल डिपोजिटस—डिपोजिट्स फोर परचेजिग एट एक्स्ट्रा एब्राड परचेजिज परचेस ग्रान्ट ऐड फाम गवर्नमेंट ऑफ जापान फार 1980-81 (येन 2.46 बिलियन ग्रान्ट ऐण्ड ऋण सहायता)।"

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया की किसी शाखा या इसके उपसंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक हुण्डीकर्त्ता से प्राप्त एक हुण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राहक और प्रापक) को सार्वजनिक सूचना सं० 184 आईटीसी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-68 सं० 233-आई०टी० सी०(पी० इन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई०टी०सी० (पी०एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० टी० सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई०टी० सी० (पी०एन०)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए ।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी उपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनक सूचना संख्या 103-आई०टी०सी०(पी०एन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना संख्या 132-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी०(पी०एन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और, प्रधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक ।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते है ।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि ।

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है ।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि ।
(ब्याज की गणना विदेशी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है) ।

उसके पश्चात् सी०ए०ए०एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्रधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों का संलग्न करते हुए खजाना चालन रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए० एण्ड ए० को भेजा जाना चाहिए ।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रुप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए०ए०एण्ड ए०, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा ।

5(4) भारत में सम्बद्ध बैंक आफ इण्डिया, को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए ।

खण्ड-6—विविधि शर्तें :

6(1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपार्ट :

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोतलादान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपार्ट

सी०ए०ए०एण्डए०, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

6(2) संभरकों का विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद :

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंण्डिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबन्ध-1 में वर्णाई जानी चाहिए। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

6(4) भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित जापान से 1980-81 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों का पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाई की जाएगी।

6(6) अनुबन्धों की सूची :—

अनुबन्ध-1. पात्र स्रोत क्षेत्रों देशों की सूची

अनुबन्ध-2. पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबन्ध-3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबन्ध-4. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

अनुबन्ध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र :

(क-1) नान-ओ०पी०ई०सी० विकासशील देश

1. अफ्रीकी, उत्तरी सहारा:

मिश्र
मोरोक्का
तुनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा:

अंगोला
बोत्सवाना
बरुन्डी
केमेरून
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र
चाद
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
जाम्बिया
कांगो, डमोह गणराज्य
इक्वेटोरियल गाईना
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथो
लाइबीरिया
मानाकासी गणतंत्र
मलावी
माली
मारितेनिया
मारीशिस
मोजाम्बीक
नाइजर
पुर्तगाल गिनी
रियनियन
रोडेशिया
रवान्दा
सेंट हेलिना और डेप (2)
साओटोम प्रिन्साइव
सेनेगाल
सेजिलिज
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजीलैंड
टेरों अफार्स और इस्सास
टोगो
युगान्डा
तन्जानिया गणतंत्र संघ
अपर वोल्टा
जाअरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका-उत्तरी और केन्द्रीय :

बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टोरिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुवाडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डुरस
जेमैका
मार्टिनिक-क्यू
मेक्सिको
नीदरलैन्ड एंनाटिलीज
निकारगुआ
पनामा
सेंट पियरी और मिक्यूलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, परनेडो पी० द्वीप समूह।

(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित : असेन्शन, ट्रिस्टन डा इन एकसे- सिविल्स, नाइटिंगेल गफ।

(3) मुख्य द्वीप समूह, अरूबा, बोनाइरे क्युराकाओं साहा सेंट यूस्टा सिट, सेंट मार्टिन (दक्षिण भाग),

अमेरिका-उत्तरी और केरेबियन (क्रमश:)

वेस्ट इन्डीज (शाखा) एन० आई० ई०

(क) संबंधित राज्य (1)

(ख) आश्रित राज्य (2)

4. दक्षिणी अमरीका :

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सूरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरिआई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिण एशिया :

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
भारत
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्रीलंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया :

बुर्नेई
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनमान गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया :

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फांसिसी पोलिनेशिया (5)
नौरु
न्यूकोलेडोनिया
न्यूहेब्रिसेस (ब्रि और फ्र०)
हियू
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप :

साइप्रेस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
युगोस्लाविया

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया
बोलिविया
लीबियाई अरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वेन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
सऊदी अरब
आबुधाबी
इन्डोनेशिया

---

(1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुवा डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किट्स (सेंट क्रिस्टोफी) नेविल अगुइला, सेंटलुसिया और सेंट विसेन्ट ।

(2) मुख्य द्वीप : मोन्तेसरत, सेमान, तुर्क और काइकोस और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।

(3) अजमान, दुबल, फजाइरेह, रास अल खैमाह शारजाह और उम अल क्वैवेन ।

(4) अदन और विभिन्न सुल्तनत और अमीरत सहित।

(5) सोसयटी द्वीपसमूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह टमोमोट, जाम्बियर ग्रुप और मार्कसन द्वीप समूह

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर) ।

अनुबन्ध–2

पात्र पण्य सूची

1. रोल्ज ।
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात ।
3. ट्रकों और ट्रेक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे ।
4. रसायन ।
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतु पुर्जे, संघटक और कच्चा माल ।
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतु पुर्जे ।
7. मशीनरी, संकटक, संयोजन, फालतु पुर्जे और कच्चा माल ।
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर ।
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग परियोजना के लिए मशीनरी और उपस्कर ।
10 उर्वरक और ऐसी अन्य मदें जिनपर आपस में सहमति हो ।

अनुबन्ध 3

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

सं०

सेवा में, दिनांक .....

सहायता लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय : 1980-81 के लिए 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन .....जापान से .....जो कि .....आयात के संबंध में हैं .....सम्बद्ध संभरक के नाम के नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते करते हैं :–

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके–क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक ।

(ञ) संभरक का नाम और पता ।

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनकों संविदा के अंतर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज । प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें । प्रत्येक सेटों की सं० और उनका निपटान दिखाते हुए ।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्ट-शिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए) ।

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है । यदि हां, तो ऐसी संविदा की दिनांक और मूल्य ।

भवदीय ।

अनुबंध-4

संख्या

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक :

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय : 2.46 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13.3.79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाए गए हैं) के अनुसार सर्वश्री.....के नाम में.....येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए ।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़ों सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ········तक वैध रहेगा

भवदीय,

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक ······ को उनके पत्र संख्या ······दिनांक ····· के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक ······ उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इण्डिया टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन / यू०एस० डालर / पौंड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई० टी० सी० (पी० एन०/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उसको देय दर्शनी हुन्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एंड एडवांसिज-843 सिविल डिपाजिट्स—डिपाजिट्स कार परचेजिस एटसेक्ट्रा एब्राड-परचेजिस ग्रांट ऐड फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1980-81 (येन 2.46 बिलियन ग्रांट ऐड डेबट रिलीफ)"।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषणपत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हों तो, बैंकिंग खर्चे आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इंडियन बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी०ए०) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

परिशिष्ट-2

जापान की सरकार द्वारा प्रदान किए गए 1980-81 के लिए 2.46 बिलियन के जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के आयातों के सम्बन्ध में लाइसेंस शर्तें।

खंड—1 सामान्य शर्तें

1(1) जापान की सरकार द्वारा प्रदान की गई 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता ओ०ई०सी०डी० और विकासशील देशों के हक में संगठित की गई है। तदनुसार, इस ऋण के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली पण्य वस्तुएं और उनसे संबन्धित प्रासंगिक सेवाएं जापान और अनुबन्ध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात की जा सकती है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्रोत देश होंगे। इस अनुदान सहायता के अधीन जो पात्र मदें आयात की जा सकती हैं उनकी सूची अनुबन्ध—2 में दी गई है।

1(2) लाइसेंस पर एक शीर्षक "1980-81 के लिए 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे०ए०" होगा। ये प्रत्यय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के आयात लाइसेंस के अग्रेषित पत्र में दुहराए जाएंगे।

1(3) बैंक खर्च, जिनका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के किसी भी प्रेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(4) आयात लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर 12 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के साथ जारी किया जाएगा। लाइसेंस की वैधता में वृद्धि के लिए लाइसेंसधारी को संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए जो इस मामले में आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से परामर्श करेगा।

1(5) पक्के आदेश अनुबन्ध-1 में उल्लिखित जापान या अन्य पात्र देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत-बीमा-भाड़ा या लागत तथा भाड़ा के आधार पर या लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर (अवर सचिव) आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों या क्रय संविदाओं से है जो भारतीय लाइसेंसधारी से प्राप्त

आदेश की पुष्टि करने के बाद-विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् समर्थित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। विदेशी संभरकों को भारतीय अधिकर्ताओं के आदेश और/या ऐसे भारतीय अधिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण आदेश स्वीकारणीय नहीं है ।

1(6) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जापान अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1(5) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 4 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसे वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे ।

पोत लदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-3-1982 के बाद की न हो।

खंड–2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें:—

2(1)(क) ठेके का लागत-बीमा-भाड़ा या लागत भाड़ा मूल्य येन या यू०एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में एक येन, एक सेंट या एक पेनी से कम की भिन्न के बिना ही अभिव्यक्त होना चाहिए । और इसमें भारतीय अधिकर्ता का कमीशन, आदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत बीमा और भाड़ा धनराशि अलग अलग प्रदर्शित की जा सकती है । परन्तु ठेके में बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े का खर्चा वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

(ख) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(ग) क्रय-आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होने चाहिए ।

2(2) आयात लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए केवल एक संविदा की जानी चाहिए । विशेष मामलों में एक से अधिक संविदा की प्रविष्टि की अनुमति दी जा सकती है जिनके लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग से आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तत्काल बाद पूर्व अनुमोदन ले लेना चाहिए ।

2(3) संभरक की पात्रता :

संभरक पात्र स्रोत देशों का राष्ट्रिक होगा या पात्र स्रोत देशों में पंजीकृत और समाविष्ट न्यायिक व्यक्ति होगा।

खंड–3 संभरक ठेकों में निम्नलिखित शर्तें विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए :—

3(1) 1980-81 के लिए 2.46 बिलियन के अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा की व्यवस्था 18 मार्च, 1981 को भारत और जापान की सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है ।

3(2) संभरकों को भुगतान उस "भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र" (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1980-81 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001 द्वारा जारी किया जाएगा ।

3(3) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो ।

3(4) उस मामले में जिसमें संभरक जापान में स्थित हो और भारतीय दूतावास,टोकियो के परामर्श से पोतलदान की व्यवस्था करने को तैयार है और उसके लिए संबन्धित माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम को भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के लिए 4 मास पहले ही भारतीय दूतावास, टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था की जाए । विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक यह चाहता हो तो अधिसूचना की अवधि कम की जा सकती है । आवश्यक ब्यौरे देते हुए प्रत्येक पोतलदान के बाद जापानी संभरक को आयातक को केवल सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए ।

खंड–4 भारत सरकार द्वारा ठेके का अनुमोदन:—

4(1) जैसे ही आदेशों को अन्तिम रूप दे दिए जाते हैं, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां या समुद्रपार संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ समुद्रपार संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां के साथ अनुबन्ध-3 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियां और इसके साथ भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–31 के अधीन स्टाम्प आयुक्त द्वारा विधिवत न्यायनिर्णीत अनुबन्ध–5 में निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारन्टी भी अवर सचिव (टी ए) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

4(2) बैंक गारन्टी कितनी धनराशि के लिए भेजी जानी चाहिए :

बैंक गारन्टी उस विदेशी मुद्रा की धनराशि के समतुल्य रुपए के लिए होनी चाहिए जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार की मांग की गई है और अनुबन्ध–5 में दर्शाए गए ब्याज और अन्य खर्चे भी इसमें शामिल होने चाहिए । परिवर्तन की दर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक सूचना सं० 78–आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 की कंडिका–2 के अनुसार आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को लागू होगी । इस दर का अभिप्राय: केवल लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारन्टी के मूल्य से है । आयात की कीमत चुकाने के लिए सरकारी लेखे में रुपया जमा कराने के लिए समतुल्य रुपए का नीचे खंड-5 में दर्शाई गई विधि के अनुसार हिसाब लगाया जाएगा ।

4(3) यदि ठेके के दस्तावेज "ए/पी" जारी करने के लिए बैंक गारन्टी और अन्य संबन्धित दस्तावेज सही पाए जाएंगे तो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), (जापान अनुभाग) ठेके का अनुमोदन करेगा और उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेज के एक सेट को सहायता लेखा एवं लेखा

परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पहली मंजिल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली और भारत के राजदूतावास, टोकियो को भेजने की व्यवस्था करेगा।

4(4) उपर्युक्त खंड 4(3) में उल्लिखित दस्तावेज की प्राप्ति के बाद सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 बैंक आफ इंडिया टोकियो के लिए अनुबन्ध-1 के रूप में जापानी संभरकों को "भुगतान करने के लिए 'भुगतान के लिए प्राधिकार-पत्र (ए/पी)" जारी करेगी। ए/पी की प्रतियां भारत के राजदूतावास, टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएगी।

4(5) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो, जापान की सरकार, भारत के राजदूतावास टोकियो भारत के बैंक के आयातक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

4(6) पोतलदान प्रभावी करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो दस्तावेज में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा।

4(7) संभरक के लिए ए/पी जारी करने के लिए और भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को देय बैंक खर्च भारत में आयातक के संबंध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रेषण द्वारा सामान्य बैंक प्रणाली से भारत सरकार के लेखे प्रभावित किए बिना ही निर्धारित किए जाएंगे।

खण्ड 5—रुपया जमा कराने का उत्तरदायित्व

5(1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो, द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (जो अनुबंध 3 के ण में उल्लिखित हैं) की शाखा होगी उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि विदेशी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया गया है और उस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक ही की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिये 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पी/एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार सरकारी लेखा में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिस दिन विदेशी संभरक को भुगतान कर दिया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पी/एन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। **इस बात को सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबद्ध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेजें आयातकों को सौंपने से पहले ही देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है।** लाइसेंसधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फोर परचेजिज एट /परचेज एक्सट्रा एब्रॉड परचेजिज/ग्रांट ऐड फ्राम गवर्नमेंट आफ जापान फार 1980-81 (येन 2,46 बिलियन ग्रांट एंड ऋण सहायता)।

5(2) उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साख में नकद जमा होनी चाहिए, या यदि वह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपसगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुंडीकर्ता) से प्राप्त एक हुंडी (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली 6 (हुंडी ग्राहक और प्रापक) की सार्वजनिक सूचना सं० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के लिए धन प्रेषण करना चाहिए।

5(3) सरकार द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आईटीसी (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं० 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31.5.74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गये हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि

(ङ) (ब्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है)

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एंड ए० द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी० ए० ए० एंड ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी : भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक आफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एण्ड ए० वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

5(4) भारत में संबद्ध बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया बंबई को भेजना चाहिए।

5(5) वित्त मंत्रालय के सी०ए०ए०एंड ए० द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी और प्राधिकरण के मामले में उत्तरदायित्व पूरा करने के बाद भारत में संबद्ध बैंक सी० सी० ए० एंड ए० को बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए अनुबंध 6 में निहित प्रपत्र में आवेदनपत्र भेजें।

खण्ड 6 विविध शर्तें :

6(1) आयात लायसेंस के उपयोग की रिपोर्ट :

भुगतान के प्राधिकारपत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने वाले हैं, उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी० ए० ए० एंड ए० आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यूसीओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजनी चाहिए ।

6(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना :

लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे आयात लाइसेंस की उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करायें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

6(3) विवाद :

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें साफ-साफ "भुगतान के नियम" के अधीन अनुबंध 1 में दर्शाई जानी चाहिए। विवादों से निबटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिएं ।

6(4) भविष्य अनुदेश :

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित जापान से 1980-81 के लिए अनुदान सहायता के अधीन सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना होगा।

6(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :

उपर्युक्त खंडों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी ।

6(6) अनुबंधों की सूची :

अनुबंध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची

अनुबंध-2 पात्र पण्य वस्तुओं की सूची

अनुबंध-3 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र

अनुबंध-4 भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र (ए/पी) का प्रपत्र

अनुबंध-5 बैंक गारंटी का प्रपत्र

अनुबंध-6 बैंक गारंटी रिहा करने के लिए आवेदनपत्र का प्रपत्र

अनुबन्ध 1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र :

(क-1) मान-ओ० पी० ई० सी० विकासशील देश :

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा :

मिस्र

मोरीक्को

ट्यूनीशिया

2. अफ्रीका, दक्षिणी सहारा :

अंगोला

बोत्सवाना

बरुन्डी

कैमेरून

केप वर्डी द्वीप समूह

केन्द्रीय अफ्रीकन गणतंत्र

चाद

कमोरो द्वीप समूह

इथोपिया

जाम्बिया

कांगो, पमोह गणराज्य

इक्वेटोरियल गाईना

घाना

गिनी

आइवरी कोस्ट

कीनिया

लेसोथ

लाइबीरिया

मालागासी गणतंत्र

मलावी

माली

मारितेनिया

मारीशिस

मोजाम्बीक

नाइजर

पुर्तगाल गिनी

रियुनियम

रोडेशिया

रवान्डा

सेन्ट हेलिना और डेप (2)

साओटोम प्रिन्साइव

सेनेगाल

सेजिलिस

सियरा लियोन

सोमालिया

सूडान

स्वाजीलैंड

टेरों अफार्स और इस्सास

टोगो

युगान्डा

तन्जानिया गणतंत्र संघ

अपर वोल्टा

जायरे गणतंत्र

जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय :

बेहमस
बारबाडोज
बेलाइज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकन गणतंत्र
एल साल्वेडोर
गुआडेलोप
ग्वाटेमाला
हेती
होन्डूरस
जेमैका
मार्टिनिक-क्यू
मेक्सिको
नीदरलैंड एन्टिलीज
निकारगुआ
पनामा
सेन्ट पियरी और मिक्वूलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो

वेस्ट इन्डीज (शाखा) एन०आई०ई०

(क) संबन्धित राज्य (1)

(ख) आश्रित राज्य (2)

4. दक्षिणी अमरीका :

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैंड द्वीप समूह
फ्रांसिसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सुरिनाम
उरुग्वे

5. मध्य पूर्वी एशिया :

बेहरीन
इजराइल
जोर्डन
लेबनान

ओमन
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमिरात
यमन अरब गणतंत्र (3)
यमन जनवादी डी० आर० (4)

6. दक्षिणी एशिया :

अफगानिस्तान
बांगला देश
भूटान
बर्मा
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान
श्री लंका

7. सुदूर पूर्वी एशिया

बुर्नई
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैंड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया :

कोका द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फ्रांसिसी पोलिनेशिया (5)
नीरु
न्यूकोलेडोनिया
न्यूहेब्रिडेस (ब्रि और फ्र)
निय्
पैसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापुआ न्यू गिनी
सोलामन द्वीप समूह (ब्रि)
टोंगो
वालिस और फतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप :

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक

1. पहले स्पेनी गिनी का प्रवेश, पपनेडो पी द्वीप समूह

2. निम्नलिखित द्वीपों सहित : अमेग्वन, ट्रिस्टन डा कुन एन्टेसिबिस्स, नार्दर्टिगेम गफ

3. सुअर द्वीप समूह, अथवा बोनाइरे क्युराकाओ, साबा, सेन्ट युस्टासिट सेन्ट मार्टिन (दक्षिण भाग)

माल्टा

स्पेन

तुर्की

युगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप : एन्टिगुआ, डोमिनिका, ग्रेनेडा, सेन्ट किटस (सेंट क्रिस्टोफी) नेविस अगुइला सेंट लुसिया और सेंट विसेन्ट ।

(2) मुख्य द्वीप : मोन्सेरात, केमान, तुर्क और काइकोस, और ब्रिटिश वरजिन द्वीप समूह ।

(3) अजमतन, दुबई, फजाइरह, रास अल खैमाह शारजाह और उम अल क्वेवन ।

(4) अदन और विभिन्न सुल्तनत और अमीरत सहित

(5) सोसयटी द्वीप समूह ताहिती सहित को शामिल करते हुए आस्ट्रल द्वीप समूह टमोमोट, गाम्बियर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह

(6) पैसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश : कारोलीन द्वीप समूह मार्शल द्वीप समूह और मेरिना द्वीप समूह (गाम को छोड़कर)

(क-2) ओ० पी० ई० सी० के सदस्य या सहयोगी देश :

अल्जीरिया

बोलिविया

लीबिया ई अरब गणतंत्र

गेबान

नाइजीरिया

इक्वेडोर

वेनुएल,

इरान

इराक

कुवैत

कातार

सऊदी अरब

आबुधाबी

इण्डोनेशिया

अनुबन्ध 2

माल पण्य सूची

1. रोल्ज
2. विशेष इस्पात और मिश्रधातु इस्पात सहित इस्पात
3. ट्रकों और ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए संघटक, संयोजक और पुर्जे
4. रसायन
5. जापान अनुदान परियोजना और भारत-जापान संयुक्त उद्यम के लिए फालतू पुर्जे, संघटक और कच्चा माल
6. बिजली के हलों के लिए संघटक, संयोजक और फालतू पुर्जे
7. मशीनरी, संघटक, संयोजक, फालतू पुर्जे और कच्चा माल
8. भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग के निगम के लिए मशीनरी और उपस्कर
9. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग परियोजना के लिए मशीनरी और उपस्कर
10. उर्वरक और ऐसी अन्य मदें जिन पर आपस में सहमति हो।

अनुबन्ध 3

"भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र

संख्या.— दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली-110001

विषय :—1980-81 के लिए 2.46 बिलियन जापानी अनुदान सहायता येन के अधीन जापान से आयात ।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन .... जापान से .... जोकि .... आयात के संबन्ध में है .... सम्बद्ध संभरक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) संविदा का कुल लागत भाड़ा मूल्य (येन में)

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि

(ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है ।

(झ) संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक

(ञ) संभरक का नाम और पता

(ट) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनकी संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे ।

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि

(ड) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और निपटान का संकेत करें) प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए ।

(ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट) की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए ।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(त) बैंक गारन्टी(यों) की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह कब तक वैध है, को भी दर्शाया जाए ।

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अन्तर्गत संविदा (संविदाओं) कर दी गई है, यदि हां, तो ऐसी संविदा की दिनांक और मूल्य ।

भवदीय,

अनुबन्ध 4

संख्या . . . .

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक . . . .

सेवा में,

बैंक ऑफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय—2.46 बिलियन के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

1. आपके बैंक के साथ 13-3-79 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे (जो परिशिष्ट में दर्शाये गए हैं) के अनुसार सर्वश्री . . . . के नाम में . . . . येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में सभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित लदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित अदा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े टोकियो में भारतीय दूतावास/आयातक के बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लदान दस्तावेज के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान के लिए प्राधिकारपत्र . . . . तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित—

1. आयातक . . . . को उनके पत्र संख्या . . . . दिनांक . . . . के संदर्भ में।

2. आयातक का बैंक . . . . उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो, ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन/यू०एस०डालर/पौण्ड के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना संख्या-8 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभारकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना संख्या 16 आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर पर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है। (इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसकी सूचना दी जाएगी)। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली—6 (आदेशित और आदाता) के नाम से और वहीं देय दर्शनी हुन्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबन्ध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं० 233 आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68, सं० 132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं० 74—आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं० 103—आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपॉजिट्स एंड एडवांसिज—843 सिविल डिपाजिट्स-डिपांजट्स फार परचेजिज एटसेक्ट्रा एब्राड—परचेजिस ग्राण्ट ऐंड फाम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1980-81 (येन 2.46 बिलियन ग्रान्ट ऐंड डेनट रिलीफ)"

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं० 132—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण-पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

समुद्र पार सभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खर्चे और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्च इण्डियन बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो

5. अवर सचिव (टी ए) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबन्ध-5

[सदर्भ खण्ड 4—पैरा 4(2)]

गारन्टी बाण्ड

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति के लिए (इसके बाद इसे "सरकार" कहा गया) 2.46 बिलियन येन की जापान अनुदान सहायता की शर्तों के अनुसार तथा ऊपर उल्लिखित करार के मद्दे आयातक के नाम में आयात के अनुसरण में दिनांक ..... को जारी किया गया लाइसेंस संख्या ..... का पालन करते हुए .....
के द्वारा बाद में इसे "आयातक" कहा गया है (के आयात के लिए भुगतान के लिए राजी होने हुए विदेशी मुद्रा में उपयुक्त धनराशि का संकेत करें) आयात के अनुरोध पर हम आयातक द्वारा मनोनीत .....
(टोकियो में वाणिज्यिक बैंक का नाम) .....
बैंक द्वारा भुगतान की गई धनराशि को जमा करने के लिए परिवर्तन की चालू परिवर्तित दर पर जो इस संबन्ध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिकलित किया जाता है और इसके साथ 1 प्रतिशत की विदेशी संभरक को किए भुगतान की तारीख को सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए समतुल्य रुपए के भुगतान की तारीख तक प्रथम 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर से और इससे अधिक की अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज के साथ भुगतान के परामर्श की पावती की प्राप्ति के बस दिनों के भीतर विधि के साथ भारत सरकार के क्रेडिट के लिए और उक्त क्रेडिट के अन्तर्गत उपयुक्त लेखा शीर्ष के लिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा लेखा शीर्ष के मद्दे संकेतित है, व्यवस्था करने का भार लेते हैं । जापान टोकियो में नामित वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट आयातक को केवल तभी लौटाया जाएगा जबकि ऊपर के अपेक्षित पूरे रुपए जमा कर लिए गए हैं ।

2. हम, दिनांक ..... बैंक सरकार जहां और जैसा भी, समय-समय पर निदेश दे, आयातक द्वारा समय-समय पर सरकार को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की राशि चाहे वह बकाया हो या भुगतान करने योग्य हो या उसका कोई भी अंश जो आयातक द्वारा थोड़े समय के लिए बकाया और देय रह गया है, जिसमें विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से इस पर प्रथम तीस दिनों के लिए 9% वार्षिक दर और इससे अधिक अवधि के लिए 15% वार्षिक दर के हिसाब से ब्याज भी शामिल है, ऐसी राशि जो .....
रुपए से अधिक नहीं है, आयातकों द्वारा भुगतान करने में देर होगी तो उसकी क्षति से सरकार को दूर रखेंगे और उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे । आयातक द्वारा उल्लिखित भुगतान करने में किसी प्रकार की देर होने पर अथवा उसकी ओर से और सरकार को भुगतान किए जाने योग्य राशि के संबन्ध में जो राशि हमारे .....
बैंक द्वारा दी जानी है, उस संबन्ध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय हमारे ऊपर ..... अन्तिम और, अनिवार्य होगा ।

3. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत है कि संविदा के अन्तर्गत मिली जुली दर में परिवर्तन होने पर आयात के मूल्य में वृद्धि होने से या अधूरे माल लदाने की स्थिति में उसका मूल्य घट जाने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में बैंक गारन्टी बांड की धनराशि में समायोजित कर लिया जाएगा ।

4. हम ..... बैंक आगे इस बात पर सहमत हैं कि इस गारन्टी में जो कुछ निहित है, वे उल्लिखित करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और उसे तब तक कार्यान्वित रखा जाएगा जब तक सरकार के अन्तर्गत या इस गारन्टी में आने वाला सारा बकाया देय पूर्ण रूपेण चुकता न कर दिया गया हो और उसकी मांगें पूरी न हो गई हो या उन्मुक्त न हो गई हों ।

5. इसमें उल्लिखित गारन्टी पर आयातक या दि ..... बैंक के संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी को प्रभावित किए बिना आयातक और दि ..... बैंक पर लागू होने योग्य किसी भी शक्ति को किसी समय या समय-समय के लिए स्थगित करें और उपर्युक्त मामले के सन्दर्भ में या किसी कारणवश थोड़े समय के लिए आयात को या किसी अन्य स्थान जो दिया गया, इस गारन्टी के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसी प्रकार की स्वतंत्रता बरती जाने पर यह अपनी जिम्मेदारी से उन्मुक्त नहीं होगी, लेकिन इस व्यवस्था के लिए नियम या सरकार की ओर से दी गई छूट या आयातक पर किए गए किसी तरह से अनुग्रह हो या कोई मामला या बात, चाहे जो भी हो, जो जिम्मेदारी के लिए ऊपर कथित उन्मुक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

6. अन्त में हम ..... बैंक यह भार लेते है कि सरकार द्वारा लिखित में परामर्श पाए बिना, मुद्रा माल में इसकी गारन्टी को रद्द नहीं करेंगे ।

7. इस बाड/गारन्टी के अन्तर्गत ..... रुपए (इसमें ब्याज तथा सभी बैंक खर्चे भी शामिल हैं, इस गारन्टी की धनराशि के 1 प्रतिशत से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं की जाती) तक सीमित रखने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, और यह .....
दिन ..... मास ..... 19 .....
तक जब तक इसकी तारीख से छः मास के भीतर लिखित रूप से इस गारन्टी के अन्तर्गत मांगें पूरी नहीं कर दी जाती इसे लागू रखा जाएगा और जब तक ** उसके बाद दूसरे छ मास के भीतर अर्थात् .....
....., ... तक उनकी मांगों के लिए मुकदमा या कार्यवाई लागू न हो जाएं, इस बाण्ड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार सभी अधिकारों से वंचित हो जाएगी और हम लोग इसके अन्तर निहित जिम्मेदारियों से मुक्त और उन्मुक्त कर दिए जाएंगे ।
दिन का दिनांक ..... वास्ते .....
(बैंक लि०) श्री ..... के द्वारा
नाम और ओहदा (भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

**यह तारीख और एक मास के साथ साख पत्र की वैध रखने तक की तारीख से लागू होगी ।

टिप्पणी— (1) स्टाम्प पेपर का मूल्य जिसमें यह गारन्टी कार्यान्वित होने वाली है, इसके मूल्य का भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा—31 के अनुसार स्टाम्प कलक्टर के द्वारा ब्याज निर्णीत किया जाना है ।

अनुबन्ध-6

[खण्ड 5 पैरा—5(5)]

बैंक गारन्टी मुक्त कराने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

सेवा मे,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग
यूनाइटिड कमर्शियल बैंक बिल्डिंग,
पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली—110001

महोदय,

इस बैंक गारन्टी संख्या.....दिनांक .....धनराशि रुपए.....के अधीन अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में हमारे द्वारा जमा किए गए रुपए की। विस्तृत जानकारी इस आवेदन के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं कि वह बैंक गारन्टी मुक्त की जाए और हमें लौटा दी जाए :—

1. आयातक/लाइसेंसधारी जिसकी ओर से गारन्टी प्रस्तुत की गई थी, का नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक मूल्य और उसके अधीन आयात के लिए अनुमति उपस्कर और/या पण्यवस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख-पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण(णों) के ब्यौरे:—

(क) पत्र संख्या और दिनांक

(ख) प्राधिकरण की धनराशि

(ग) 2.46 बिलियन येन की जापान अनुदान सहायता

4. आयातों और जमा किए गए रुपए के ब्यौरे (प्रत्येक प्राधिकरण के लिए अलग-अलग दिए जाने हैं)

(क) येन/यू०एस० डालर/पौण्ड में बीजक की धनराशि (वास्तविक)

(ख) जमा किए गए रुपए की धनराशि

(ग) संबन्धित चालान संख्या और तारीख और राजकोष/बैंक का नाम

(घ) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है तो डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक और जिसके साथ डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया, दिल्ली को भेजा गया था उसकी संख्या और दिनांक

5. प्रत्येक प्राधिकरण में उपयोग की गई और उपयोग न की गई शेष धनराशि (येन/यू०एस० डालर/पौण्ड)

2. हम प्रमाणित करते हैं कि:—

(1) *वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण (णों) में उपलब्ध (येन) की शेष धनराशि उपयोग नहीं की गई है/उपयोग नहीं की जाएगी ।

(2) विषयक बैंक गारन्टी के अधीन हमारे उत्तरदायित्व विधिवत पूरे हो गए हैं ।

(3) हम पुष्टि करते हैं कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो का ब्याज और बैंक के खर्चे और इस लेन देन से संबन्धित समुद्रपार संभरकों बैंकरों के खर्चे यदि कोई हो, बैंक आफ इंडिया, टोकियो को हमने भुगतान कर दिए हैं ।

3. हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारन्टी कृपया मुक्त कर दी जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय

(बैंक की ओर से प्राधिकृत एजेंट)

*जो भी लागू हो ।

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 28-ITC(PN)/81

New Delhi, the 28th May, 1981

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Licensing Condition pertaining to Japanese Grant Aid of Yen 2.46 billion (Debt relief) for 1980-81.

File No. IPC/23(14)/80-81.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the Japanese Grant Aid of Yen 2.45 billion (Debt Relief) for importers in both Private and Public Sectors as given in Appendix I and II to this Public Notice are notified for information.

Sd/-

MISS ROMA MAJUMDAR, Chief Controller of Imports and Exports

APPENDIX

Licensing Conditions in respect of Public Sector Imports under the Japanese Grant Aid of Yen 2.46 Billion (Y 2,463,559,000) (Debt Relief) for 1980-81 extended by the Government of Japan.

Section I—General Conditions :

I(i) The Japanese Grant Aid of Yen 2.46 billion extended by the Government of Japan is untied in favour of OECD and developing countries. Accordingly the commodities and services incidental thereto to be procured under this Grant Aid can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be the eligible source countries under this Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure-II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "SJN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on C&F basis on the overseas suppliers located in Japan and in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi (within 4 months from the date of issue of the import licence). "Firm Orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the Overseas supplier duly supported by order confirmation by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I(iv) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within 4 months for valid reasons the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within 4 months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension is sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while Negotiating a supply contract

II(i)(a) The C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollar or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupee or in any other currency. The FOB cost and freight among may be shown

separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese Suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(iii) Eligibility of Supplier :

The supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridical person registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III :

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Governments of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 "and will be subject to the approval of Government of India".

III(ii) Payments to the overseas suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importers require this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Govt. of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects together with two photo copies of the relevant valid import licence as also two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex III. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV(ii) If the contract documents "Request for issue of A/P" and other connected documents are found to be in order the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Japan Section will approve the contract and will arrange to send one set of the documents mentioned in (i) above each to the CAA&A and the Embassy of India, Tokyo.

IV(iii) On receipt of the documents mentioned at (ii) above the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure IV for making payment to the overseas supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

IV(v) The foreign supplier shall, after affecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Supplier through his bankers.

IV(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the overseas supplier shall be settled by the concerned importer's Bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section V—Responsibility for Rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised Banks as mentioned in (O) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen/US $/Pound sterling Payments made to the supplier alongwith interest charges thereon in cases where payable calculate at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the foreign Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-76. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen/US $/£ Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81 (Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt—relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible it should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (Drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-1968. No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-68 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976,

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupees deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the Condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The Licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1980-81 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities.

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara:
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA South of Sahara:
Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principle
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Central :
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands AnTilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island and Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

eligible source countries under the Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis with an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on he overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overeas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months from valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be refefred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i) (a) The CIF or C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees. If no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier—

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridicial persons registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III—

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 and will be subject to the approval of Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A/P" in the format Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure V duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

IV (ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed : The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to Pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure V. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)/78, dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licencee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section V below.

IV(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section will approve the

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers, their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the forcign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediatcly thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupees deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence :

The importer should send a monthly report, after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the Condition of contract.

VI(iv) Future Instructions :

The Licencee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1980-81 from Japan.

VI(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control Act).

VI(vi) List of Annexures :

Annexure I—List of eligible source countries.

Annexure II—List of eligible commodities.

Annexure III—Form of Request for issue of Authorisation to Pay (A/P).

Annexure IV—Form of letter of Authorisation to Pay (A/P).

ANNEXURE I

List of Eligible Source Countries

A. Developing Countries and Territories :

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara:
- Egypt
- Morocco
- Tunisia

II. AFRICA South of Sahara:
- Angola
- Botswana
- Burundi
- Camereon
- Cape Verde Islands
- Central African Rep.
- Chad
- Comoro Islands
- Congo, People's Republic of Dahomay
- Equatorial Guinea (1)
- Ethiopia
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Ivory Coast
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Malagasy Republic
- Malawi
- Mali
- Mauritania, Mauritius
- Moozambique
- Niger
- Portuguese Guinea
- Reunion
- Rhodesia
- Rwanda
- St. Helena and dep. (2)
- Sao Tomo and Principle
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalia
- Sudan
- Swaziland
- Terro. Afars and Issas
- Togo
- Uganda
- Un. Rep. of Tanzania
- Upper Volta
- Zaire Republic
- Zambia

III. AMERICA, North and Central :
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Costa Rica
- Cuba
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guadeloupe
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Jamaica
- Martinique
- Mexico
- Netherlands AnTilles
- Nicaragua
- Panama
- St. Pierre & Miquelon
- Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island and Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

eligible source countries under the Grant. The list of eligible commodities that can be imported under this Grant Aid is at Annexure II.

I(ii) The licence will bear the superscription "Yen 2.46 billion Japanese Grant Aid for 1980-81". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". These will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence.

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payment however, will form part of the iicence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The import licence will be issued on CIF basis wi h an initial validity of 12 months. For extension of the validity of the licence, the Licencee should approach the licensing authority concerned who shall consult the Department of Economic Affairs (Japan Section) in the matter.

I(v) Firm order must be placed on CIF or on C&F basis on he overseas suppliers located in Japan or in other eligible countries mentioned in Annexure-I and sent to the Under Secretary, Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi within 4 months from the date of issue of the import licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licencee on the overseas supplier duly supported by order confirmation by the letter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas supplier. Orders on Indian Agents of Overeas Suppliers and/or order confirmation by such Indian Agents are not acceptable.

I(vi) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Japan Section, within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para 1(v) above cannot be placed within four months from valid reasons, the licencee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merits by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If however, extension sought beyond 4 months from the date of issue of this import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licencee.

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-3-1982.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract :

II(i) (a) The CIF or C&F value of the contract should be expressed in Yen or US Dollars or Pound Sterling without fraction less than one Yen, one Cent or one Penny and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian. rupees. If no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The FOB cost, insurance and freight amount may be shown separately but it should be clarified in the contract whether the freight charges will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated in the contract would be the amount payable irrespective of the actual charges.

(b) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo.

(c) The purchase order and supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) Only one contract should be entered into for the full value of the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into for which prior approval of the Department of Economic Affairs Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (iii) Eligibility of Supplier—

The Supplier shall be a national of the eligible source countries, or a juridicial persons registered and incorporated in the eligible source countries.

Section III—

The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

III(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 18th March, 1981 between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 2.46 billion for 1980-81 and will be subject to the approval of Government of India.

III(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1980-81.

III(iii) The overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

III(iv) Where the suppliers are located in Japan, they agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose they would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, atleast four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by Government of India :

IV(i) As soon as the orders are finalised, the licencee should forward to the Under Secretary (TA), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the Overseas Suppliers supported by order confirmation in writing by the Overseas Supplier or their photo-copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence and also two copies of the "Request for issue of A|P" in the format Annexure III, accompanied by a Bank Guarantee in the form prescribed in Annexure V duly adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamp Act.

IV (ii) Bank Guarantee—Amount for which it should be executed : The Bank Guarantee should be for an amount representing the rupee equivalent of the foreign currency amount for which the Authorisation to Pay (A/P) is sought plus interest and other charges as mentioned in Annexure V. The rate of conversion shall be at the exchange rate notified by the Department of Revenue and prevailing on the date of issue of the import licence as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC(PN)|78, dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E. This rate is meant only for the purpose of arriving at the value of the Bank Guarantee to be furnished by the licencee. For the purpose of making rupee deposits into Government account towards the cost of imports, the rupee equivalent will have to be worked out in the manner indicated in Section V below.

IV(iii) If the contract documents, Request for issue of 'A/P', the Bank Guarantee and other connected documents are found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section will approve the

contract and arrange to send one set of the doeumcnts to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Ist Floor, Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

IV(iv) On receipt of the documents mentioned in Section IV(iii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Eeonomic Affairs, Ministry of Finance.

IV(v) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the C A A & A.

IV(vi) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vii) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned n (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier along with interest charges thereon calculating at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-76. The interest is payable for both tde days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if his is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968 and No. 1321TC(PN)/71, dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76, dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposits in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 and also Public Notice No. 74-ITC(PN)|74, dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 10-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thercafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for the purpose be made in the form laid down in Annexure-VI.

Section-VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must clearly

2. Importer's Banker———— they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Governmen of India account in terms of public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any Change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payab'e to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC-(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes records from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank, and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

ANNEXURE V

[Ref. Section IV—Para IV(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens|US Dollars and £ Sterling for the import of————by ———— (hereinafter called 'importer') against the import licence No. ————dated ———— issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we———— ———— Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices|A.D. Circluars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the ———— (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.————, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the arte of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us————(Bank), shall he final and binding on us————(Bank).

3. We, ————(Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee hond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, ————(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement|contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein eontained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the ————(Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the————(Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsover which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the ————(Bank) from its such liability.

6. We————(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond|guarantee is restricted to Rs. ————(plus interest and all banking charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

contract and arrange to send one set of the documents to the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Ist Floor, Parliament Street, New Delhi, and Embassy of India, Tokyo.

IV(iv) On receipt of the documents mentioned in Section IV(iii) above the Controller of Aid Account & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building Parliament Street, New Delhi-110001 will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure III for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

IV(v) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the C A A & A.

IV(vi) The foreign supplier shall, after affecting shipment, present through his bankers the documents specified in the A/P to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the supplier through his bankers.

IV(vii) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for advising the A/P and for arranging payment to the supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's Account.

Section V—Responsibility for rupee deposit :

V(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned n (O) in Annexure III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the supplier along with interest charges thereon calculating at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC(PN)/76, dated 16-6-76. The interest is payable for both tde days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76, dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notice of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The licencee should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad purchase Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid—Debt Relief).

V(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if his is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68, dated 30-8-1968, No. 233-ITC(PN)/68, dated 24-10-1968 and No. 132ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76, dated 12-10-1976.

V(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposits in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71, dated 5-10-1971 and also Public Notice No. 74-ITC(PN)/74, dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76, dated 10-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAAA indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

V(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

V(v) After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Authorisation issued by the CAA&A in the Ministry of Finance are fulfilled, the concerned Bank in India can apply to the CAA&A for the release of bank guarantee. The application for the purpose be made in the form laid down in Annexure-VI.

Section-VI—Miscellaneous provisions :

VI(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VI(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licencee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VI(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the licencee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must clearly

2. Importer's Banker———— they are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen|US$|£ payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the overseas suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Overseas Suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)|76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @ 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government Account, is required to be deposited into the Governmen of India account in terms of public Notice No. 46-ITC(PN)|76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e., the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any Change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I. Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I. or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC-(PN)|71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31-5-74 and 103-ITC(PN)|76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances-843-CIVIL Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from the Government of Japan" for 1980-81—(Yen 2.46 billion Grant Aid-Debt Relief).

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes records from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank, and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

(Accounts Officer)

ANNEXURE V

[Ref. Section IV—Para IV(ii)]

GUARANTEE BOND

To

The President of India.

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens|US Dollars and £ Sterling for the import of————by ———— (hereinafter called 'importer') against the import licence No. ————dated ———— issued under the terms and conditions of Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion, we———— ———— Bank, at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit, the amounts of disbursements made by the Bank of India, Tokyo converted at the prevailing composite rate of conversion laid down in CCI&E's Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17-1-76 or as notified from time to time in Public Notices|A.D. Circulars within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Accounts as indicated by the Government of India under the said Grant Aid together with interest thereon at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period in excess thereof reckoned from the date of payment to the overseas supplier to and inclusive of the date of deposit of rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Bank of India, Tokyo will be released to the Importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the ———— (Bank), also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs.————, or any part thereof, for the time being due and payable by the importer, together with interest thereon at the arte of 9 per cent per annum for the first 30 days and the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned from the date of the payment to the overseas supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us————(Bank), shall be final and binding on us————(Bank).

3. We, ————(Bank), further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change take place, in proportion to this change.

4. We, ————(Bank), further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement|contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee, have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the ————(Bank) and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time of the powers exercisable by it against the importer and the————(Bank) shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matter aforesaid or by reasons of time being given to the importer or any other forebearance, act or omission on the part of the Government or any other matter or thing the Government to the importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the ————(Bank) from its such liability.

6. We————(Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. Our liability under this bond|guarantee is restricted to Rs. ————(plus interest and all banking charges, not exrected to exceed 1 per cent of the guarantee amount), and this guarantee shall remain in force till** the date of

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

————→ (month) 19————. Unless claims under this bond|guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commenced within another six months tbereafter, i.e. upto ————all Government's rights under this bond|guarantee shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Date the————day of————19

for— ————(Bank)

Accepted for and on behalf of the President of India by Shri————

(Name and Designation)

Signature

Signature

Note: The value of the stampted paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE VI

[Section V—Para V(v)]

Form of Application for release of Bank Guarantee

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-1.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupee deposits made by us in tbe discharge of our obligations under Bank Guarantee No. ———— dated———— for an amount of Rs.———— with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer|licencee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished.

2. The import licence No. date, value, brief description of the equipment and|or commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) obtained from the Ministry of Finance (to be given separately for each authorisation).

(a) Letter No. and date.

(b) Amount of Authorisation.

(c) Japanese Grant Aid of Yen 2.9 billion.

4. Particulars of imports and rupee deposits made (to be given separately for each Authorisation).

(a) Amount of Invoice (net) in Yen|US$|£.

(b) Amount of Rupee deposit.

(c) Relative challan No. and date and tbe name of Treasury/Bank.

(d) If by demand draft, No. and date of tbe demand draft and No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delbi.

5. Amount utilised and balance unutilised (Yen|US$|£). in each Authorisation.

II. We certify that :—

(1) *The balance amount of Yen———— available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

(2) Our obligation under the Bank Guaranteee in question have been fully discharged.

III. We confirm that the interest and banking charges of the Bank of India, Tokyo and cbarges, if any, of overseas suppliers Bankers relative to this transaction have been remitted by us to the Bank of India, Tokyo.

IV. We request that the bank guarantce may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981